

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2021—माघ 8, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2021

क्र. एफ-2-6-2021-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-23.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यटन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.2	टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड	45 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड	15 दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यटन
23.3	होटल रजिस्ट्रेशन	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड	45 दिवस	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड	15 दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यटन
23.4	फिल्म शूटिंग परमिशन	जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन	45 दिवस	संभागायुक्त, मध्यप्रदेश शासन	15 दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यटन
23.5	टूरिज्म इवेंट हेतु पर.फॉर्मैस लाइसेन्स	जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन	45 दिवस	संभागायुक्त, मध्यप्रदेश शासन	15 दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यटन

क्र. एफ-2-7-2021-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-37.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा सेवा/कार्य/सामग्री की उपार्जन/क्रय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण (पूर्व, दौरान एवं उपरांत) के अनुमोदन हेतु स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी नवीन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा, द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा सेवा/कार्य/सामग्री की उपार्जन/क्रय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण ( पूर्व, दौरान एवं उपरांत ) के अनुमोदन हेतु स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने हेतु**

37.5	एमपीआईडीसी द्वारा उपार्जन हेतु जारी ( सेवा/कार्य/ सामग्री ) निविदाओं के अनुमोदन पर निर्णय.	मुख्य महाप्रबंधक/ मुख्य अभियन्ता/ कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल	निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय-सीमा अनुसार	प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल	90 दिवस	अध्यक्ष, एमपीआईडीसी, भोपाल
37.6	निविदा दस्तावेज अनुसार तयशुदा कार्य पूर्ण होने पर विक्रेताओं को भुगतान.	मुख्य महाप्रबंधक/ मुख्य अभियन्ता/ कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल	निविदा दस्तावेज में निर्धारित भुगतान अनुसूची ओर परिदेय मापदंड अनुसार	प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी, भोपाल	90 दिवस	अध्यक्ष, एमपीआईडीसी, भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.